

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 1991

संख्या जे0 डी0-91/7468- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (I)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत के राष्ट्रपति गांव रोजका गुजर, जिला गुड़गांव के बड़े जौहड़ का मन्दिर के आस-पास के क्षेत्र को नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट और संलग्न नक्शे में दिखाये गये अनुसार उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

गांव रोजका गुजर जिला गुड़गांव के बड़े जौहड़ का मन्दिर के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी0)-197/91, दिनांक 1 फरवरी, 1991 के साथ पढ़ा जाये।

उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम: इसमें गांव रोजका गुजर जिला गुड़गांव की खसरा संख्या 45,48,49,50 और 95 शामिल हैं।

डा0 तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 30th April, 1991

No. JD-91/7468- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him the President of India is pleased to declare the area around Bade Johar Ka Mandir at village Rojka Gujar, Distt. Gurgaon as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundaries of the controlled area around Bade Johar Ka mandir at Village-Rojka Gujar, Dist. Gurgaon to be read with Drawing No. DTP(G) 197/91 dated 1st February, 1991.

North, South, East & West:- It comprises of Khasra No. 45,48,49,50 and 95 of village Rojka Gujar Distt. Gurgaon.

DR. TARSEM LAL
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.